

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री अतुल जनरेटर्स प्रा० लि०, नुनहाई, आगरा ।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 011 / 09, 06.02.2009
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अतुल जनरेटर्स प्रा० लि०, नुनहाई, आगरा द्वारा दिनांक 06.02.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. क्या दिनांक 29.09.2008 तक Diesel Engine Generating Set पर 4% की दर से करदेयता थी ?
2. दिनांक 29.09.2008 के बाद Diesel Engine Generating Set पर 4% की दर से या 12.5% की दर से करदेयता होगी ?
3. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 12.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि सर्वश्री भास्कर जनसेट्स प्रा० लि०, बी-137, सेक्टर-2, नोएडा के मामले में धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 26.02.2008 में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II की प्रविष्टि संख्या-26 पर अंकित मशीनरी की भाँति Diesel Engine Generating Set को भी 4% की दर से करदेय माना गया था । शासन के नोटिफिकेशन नम्बर-2758, दिनांक 29.09.2008 से उक्त प्रविष्टि संख्या-26 को विलोपित कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में वर्तमान में Diesel Engine Generating Set पर 4% की दर से करदेयता होगी अथवा 12.5% की दर से ।
4. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा द्वारा पत्र संख्या-3870, दिनांक 20.02.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II की प्रविष्टि संख्या-26 को विलोपित कर दिये जाने के कारण उस प्रविष्टि में उल्लिखित वस्तुएं अवर्गीकृत की श्रेणी में आ गई हैं जिसके कारण उक्त प्रविष्टि में वर्णित मशीनरी की भाँति डीजल इन्जन, पम्पिंग सेट व जनरेटर पर दिनांक 29.09.2008 के बाद 12.5% की दर से करदेयता है ।
4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि Diesel Generating Set पर पूर्व में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री भास्कर जनसेट्स प्रा० लि०, बी-137, सेक्टर-2, नोएडा के प्रार्थना-पत्र संख्या-29 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2008 एवं सर्वश्री गिरीश चन्द्र गोयल महामन्त्री, आगरा मण्डल व्यापार संगठन, न्यू सीताराम मार्केट, बेलन गंज, आगरा के प्रार्थना-पत्र संख्या-18 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2008 के द्वारा Diesel Generating Set को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-26 में वर्णित मशीनरी की श्रेणी में मानते हुए 4% की दर से करदेयता निर्धारित की

सर्वश्री अतुल जनरेटर्स प्रा० लि० / प्रा० पत्र सं०-011 / 09 / धारा-59 / पृष्ठ-2

गयी थी। शासन के नोटिफिकेशन संख्या-2758, दिनांक 29.09.2008 से अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-26 को सम्पूर्ण रूप से विलोपित कर दिया गया जिसके कारण उक्त प्रविष्टि में अंकित समस्त वस्तुओं के साथ-साथ करदेयता के दृष्टिकोण से उन वस्तुओं के समतुल्य अवधारित सभी वस्तुएं अवर्गीकृत हो गयीं। जिसके कारण Diesel Generating Set भी दिनांक 29.09.2008 के पश्चात अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Diesel Generating Set को पूर्व में पारित धारा-59 के निर्णयों दिनांक 26.02.2008 व दिनांक 05.03.2008 से उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-26 पर अंकित मशीनरी की भाँति मानते हुए 4% की दर से करदेय माना गया था। शासन द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 29.09.2008 के द्वारा दिनांक 30.09.2008 से प्रभावी उक्त प्रविष्टि संख्या-26 को विलोपित कर दिया गया है। प्रविष्टि संख्या-26 के विलोपित होने के उपरान्त मशीनरी उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I, II, III या IV में वर्गीकृत नहीं रह गयी है। धारा-59 के निर्णय दिनांक 26.02.2008 में Diesel Engine Generating Set को मशीनरी माना गया है। अतः दिनांक 30.09.2008 से Diesel Engine Generating Set पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 मार्च, 2014

ह० / 21.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।